[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी [illegible] अपीलान्ट उपस्थित है। बहस अपील सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 29.11.19 को पेश हो।	
29.11.19	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट उपस्थित है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील मेमो में अंकित एवं वर्णित तथ्य, वाँछित अनुतोषादि, अपील मेमो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि	29/11/19

तारीख हुक्म	(2) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पर सम्यक विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रा० पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।
	अपीलाधीन आदेश एवं अपील के साथ प्रस्तुत छायाप्रति रजिस्टर्ड बयनामा ता० 920000/- दि० 15.6.11 पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 264, पृष्ठ सं० 104 क्रम संख्या 201100 1022 का एक साथ अवलोकन किया।
	विक्रेतागण द्वारा ग्राम सालखेड़ी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 554, 555, 559, 567, में से 0.82 हे. भूमि क्रय की है। बैनामे में क्रेता के रूप में सुरेशचंद व कमलेश कुमार पिसरान पूनमचंद जाति महाजन अंकित है।
	अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करते समय अपीलाधीन आदेश के कालम नम्बर 14 में प्रकरण वर्णित रजिस्टर्ड बयनामें का स्पष्ट हवाला है, किन्तु कॉलम नम्बर 9 में सुरेशचंद के स्थान पर रमेशचंद दर्ज कर दिया गया।
	(हस्ताक्षर) 28/11/14

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपीलाधीन इन्तकाल दिनांक 5.2.11 को दायर किया गया, जिसमें स्व पंजीकृत विक्रय विलेख कॉलम नम्बर 9 में क्रेता का नाम दर्ज नहीं कर अन्य नाम दर्ज कर दिया। इकरार में संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 5.2.11 को ही सरसरी तौर से जांच कर मात्र "जांच की अंकन सही है" रिपोर्ट दर्ज कर दी। हैरत की बात है कि संबंधित पटवारी व जांचकर्ता द्वारा इस बाबत नामान्तरकरण दर्ज करते समय ध्यान ही नहीं दिया कि भूमि का वास्तविक क्रेता कौन है! अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट व जांच के आधार पर मुताबिक रजिस्ट्री नामान्तरकरण स्वीकार होने का आदेश पारित कर दिया, जबकि रजिस्ट्री में क्रेता रमेश चंद नहीं होकर सुरेशचंद है। प्रकरण के गुणावगुण पर समग्र विचारोपरान्त हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय रिपोर्ट/जांच तथा दस्तावेजात का सम्यक अवलोकन किये बगैर ही 29/11/4	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तौर पर अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसंगत निर्णय की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जा सकता।
	अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम सातलखेड़ी के नामान्तरकरण नम्बर 187/802 पर ग्राम पंचायत सातलखेड़ी का निर्णय दिनांक 5.7.2011 अपास्त किया जाता है।
	रिकार्ड में रमेशचंद के स्थान पर सुरेशचंद दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगंजमण्डी हस्ब रजिस्टर्ड बयनामा पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।
	पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर अभिलेख भण्डार हो।
	निर्णय आज दिनांक 29-11-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।
	29/11/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.